बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग

सत्यमेव जयते

हरित बजट
2021-22

बिहार सरकार

वित्त विभाग

हरित बजट

2021-22

प्राक्कथन

बिहार में हरित बजट (Green Budget) का यह दूसरा वर्ष है, जो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (COP) 26 के ठीक बाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वातावरण से बड़े उत्सर्जन को कम करने हेतु वैश्विक और साथ ही क्षेत्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करने के दृष्टिकोण से यह सम्मेलन उल्लेखनीय रहा है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर, राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को क्षेत्रीय स्तर तक लाने तथा उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत हरित बजट को एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा ग्रीन बजट तैयार किया गया था। यह राज्य सरकार का एक समन्वित प्रयास है जिसे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नीतिगत रुपरेखा को वित्तीय योजना के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा विभागवार योजनाओं और गतिविधियों की पहचान करने और बजटीय आवंटन को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है। राज्य सरकार का यह प्रयास बिहार में पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संचालित गतिविधियों को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस ग्रीन बजट में पर्यावरणीय संधारणीयता प्रदान करने हेतु जिन पहलुओं को शामिल किया गया है, मुख्य रूप से– जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, प्रदूषण में कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता, जमीन का संधारणीय उपभोग, हरित अधिसंरचना का विकास, उचित उपभोग और हरित अर्थव्यवस्था इत्यादि हैं।

ग्रीन बजट राज्य के वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका लक्ष्य सुदृढ़ योजना निर्माण, अनुश्रवण, विभागों के बीच समन्वय और पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट निर्माण करना है। सतत विकास में ग्रीन बजट की भूमिका को उच्चतम स्तरों पर मान्यता दी गई है। वैश्विक स्तर पर निर्धारित सतत विकास के लक्ष्य संख्या 17.14, सतत विकास के लिए नीतिगत सामंजस्य बढ़ाना, तथा वृहद अर्थशास्त्र नीति के गठन एवं उसके परिणामों को मुख्यधारा में लाने का समर्थन करता है। इसके अलावा सन् 2017 में एक अंतरराष्ट्रीय मंच 'वन प्लैनेट समिट' में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के महासचिव ने राष्ट्रीय बजट ढांचे के भीतर हरित बजट पर जोर देने की अपील की थी। इसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु गांवों एवं शहरों को स्वच्छ बनाने हेतु पाँच वर्षों (2020–2025) के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 एवं जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत समाहित है। यह पर्यावरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

•••

बिहार में हरित बजट

1. परिचय

'हरित बजट' को एक उप–बजट के तौर पर उल्लेखित किया जा सकता है जिसमें राज्य के मूल बजट के अन्तर्गत पर्यावरण अनुकूलन हेतु आकलित व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। यह राज्य में पर्यावरण सरंक्षण से जुड़े विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं और उनके लिए बजटीय प्रावधान करने हेतु एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) इत्यादि के संदर्भ में राज्य में हरित उन्मुख हस्तक्षेपों के प्रभावों का आकलन हेतु एक मार्गदर्शिका के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

देश में कुल कार्बन उत्सर्जन स्तर के भार को कम करने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता के संदर्भ में भी इस ग्रीन बजट को क्षेत्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर देखा जा सकता है। हाल ही में संपन्न हुए जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 26वें अध्याय के दौरान (जिसे कॉप 26 कहा जाता है) विश्व के 100 देशों के समक्ष भारत ने 2070 तक 'निवल–शून्य' (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।[1] इसके अलावा, एक दशक से भी कम समय में ग्रीन हाउस गैस (GHG) के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक 'मीथेन' को 30 प्रतिशत तक कम करने के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखायी है।[2] निर्धारित लक्ष्यों पर उत्सर्जन को कम करने के लिए, देश में पर्याप्त नीति–निर्धारण के साथ–साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी।

बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, पर्यावरण क्षरण संबंधी खतरों को चिन्हित करने, इनपर निगरानी रखने, कार्यक्रम हेतु संस्थागत रणनीति बनाने एवं बजटीय प्रावधान हेतु हरित बजट के महत्व को महसूस किया है। ऐसा माना जा सकता है की हरित बजट के होने से संबंधित विभागों द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु किये जा रहे विभिन्न कार्यों के लिए उनके पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अन्दर ही बेहतर योजना का निर्माण किया जा सकता है।

पर्यावरणीय संधारणीयता हेतु तैयार किये जानेवाले हरित बजट की निम्नांकित विशेषताएं हैं –

- ग्रीन बजट क्षेत्रीय स्तर पर किये जानेवाले कार्यों के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, साथ ही हरित योजनाओं/कार्यक्रमों पर होनेवाले व्यय पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बजटीय प्रावधानों की कोई कमी न हो। इससे पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रीय असमानताओं तथा अन्य चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।
- ग्रीन बजट देश एवं राज्य के पर्यावरणीय स्थिरता के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति एकजुट होकर कार्य करने हेतु अंतर–विभागीय समन्वय को मजबूत करता है।
- पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किया गया सार्वजनिक व्यय, सरकार की कार्रवाइयों का सूचक होता है। अतः ग्रीन बजट नीति निर्माताओं के लिए आंतरिक विश्लेषण का एक माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे राजकोषीय नीति में आवश्यकता के अनुरूप बदलाव किया जा सके।

---

1 ग्लासगो में कॉप26 शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय वक्तव्य प्रेस सूचना ब्यूरो, 01 नवंबर, 2021:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1768712

2 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) क्लाइमेट एक्शन स्टोरी: 22 सितंबर 2021:https://www.unep.org/news-and-stories/story/new-global-methane-pledge-aims-tackle-climate-change

- ग्रीन बजट अभी प्रारंभिक चरण में है तथा नीतिगत विश्लेषण हेतु मार्गदर्शिका के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने के तौर पर विकसित हो रहा है। आने वाले वर्षों में यह व्यय का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता है, जो क्षेत्रीय परिणामों और उपलब्धि को प्रतिबिंबित करेगा।

अवलोकन

बिहार लगभग 104 मिलियन की कुल आबादी वाला भारत का स्थलरूद्ध (Landlocked) राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बहुत अधिक) है।[3] राज्य इंडस–गंगा के मैदानी क्षेत्र के मध्य में स्थित है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.86 प्रतिशत है। राज्य की वार्षिक औसत वर्षा 1,000 मिमी से 2,000 मिमी और औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। सीमित वन आच्छादन वाला राज्य होने के नाते, बिहार अपने भौगोलिक क्षेत्र के 7.76 प्रतिशत के कुल वन आवरण के साथ भारत में 32वें स्थान पर है।[4] दूसरी ओर, एसडीजी के ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर बिहार को 52 अंक प्राप्त हुए है। एसडीजी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे शुद्ध पेयजल और स्वच्छता (वर्ष 2019 में 81 से वर्ष 2020 में 91 तक), सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा (जो वर्ष 2019 में 62 अंक से बढ़ कर वर्ष 2020 में 78), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (वर्ष 2019 में 44 अंक से बढ़ कर वर्ष 2020 में 66 तक), के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इसके साथ पर्यावरणीय क्रिया–कलापों (वर्ष 2019 में 43 अंक से घट कर वर्ष 2020 में 16 तक), उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढ़ांचे (2019 में 47 अंक से घट कर 2020 में 24) में गिरावट दर्ज की गई है।[5]

विभिन्न् सीमाओं वाला राज्य होने के नाते, बिहार राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं संरक्षण तथा एसडीजी प्रदर्शन में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है।

ग्रीन बजटिंग विषय–आधारित बजटीय मानचित्रण का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता या उसके विकास के लिए कार्यक्रम–स्तरीय बजट प्रावधानों की जाँच पर केंद्रित है। हरित बजट एसडीजी[6] तथा रियो–मार्कर[7] के दृष्टिकोण पर तैयार किया गया है। पिछले वर्ष की भांति, इस साल का ग्रीन बजट तैयार करने में निम्नांकित चरणों का पालन किया गया है–

चरण 1

राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उनकी वार्षिक योजना एवं बजट दस्तावेजों से कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन की पहचान की गई। कार्यक्रम के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त दिशा–निर्देशों एवं उद्देश्यों की समीक्षा की गई। साथ ही उन योजनाओं की पहचान की गई, जिनमें पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियां/घटक मौजूद थे।

---

3 भारत की जनगणना 2011:
https://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/bihar/Provisional%20Population%20Totals%202011-Bihar.pdf

4 भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2019:https://fsi.nic.in/isfr19/vol1/chapter2.pdf

5 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020: https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking

6 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020: https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking

7 जलवायु के लिए ओईसीडी डीएसी रियो मार्करय पुस्तिका :
https://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf

चरण 2

संबंधित विभागों से निर्धारित प्रपत्र में बजटीय आंकड़े प्राप्त किये गए। यह संबंधित योजनाओं या कार्यक्रमों में व्यय के अनुपात के साथ बजट अनुमानों की पहचान करते हुए सभी विभागों के साथ विचार–विमर्श पूरा किया गया।

चरण 3

बजट के आंकड़ो की दोहरी गणना से बचने और त्रुटियों को कम करने हेतु टैगिंग और ट्रैकिंग पद्धति को अपनाया गया। प्रक्षेत्रवार कार्यक्रमों और संबंधित विभागों पर नजर रखने के लिए योजना एवं कार्यक्रमों के लिए बजट कोड दर्ज किए गए।

तालिका 1: हरित बजट दस्तावेज तैयार करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण का चित्रण

<table>
<tr><td rowspan="9">बजटीय आवंटन/व्यय का आकलन</td><td rowspan="3">सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुसार पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में योगदान देने वाले विभागों की पहचान</td><td>राज्य के संबंधित विभागों के अनुदान की विस्तृत मांग (Detailed Demand of Grants) तथा परिणामों की समीक्षा</td></tr>
<tr><td>राज्य के विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट एवं बजटीय दस्तावेजों की समीक्षा</td></tr>
<tr><td>राज्य के संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा एवं परामर्श</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में योगदान देने वाली योजनाओं की पहचान</td><td>अनुदान की विस्तृत मांग (Detailed Demand of Grants) और बजट दस्तावेजों की समीक्षा</td></tr>
<tr><td>राज्य के संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पहचान की गई योजनाओं पर बजटीय आवंटन/व्यय का मिलान</td><td>बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों से हरित घटक संबंधित योजनाओं तथा उनके वित्तीय लेखा–जोखा का संकलन</td></tr>
<tr><td>प्रत्येक चिन्हित योजनाओं हेतु अपेक्षित कुल बजट आवंटन/व्यय का मिलान</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पर्यावरणीय रूप से प्रासंगिक योजनाओं के हरित घटक के आकलन के लिए गुणांकों का उपयोग करना</td><td>संशोधित रियो–मार्कर पद्धति पर आधारित हरित प्रतिशतता तालिका में संबंधित विभागों के परामर्शनुसार अपेक्षित योजनाओं का आकलन करना</td></tr>
<tr><td>संबंधित विभागों द्वारा हरित घटक का अनुमानित बजट प्रदान करना</td></tr>
</table>

हरित बजटिंग कार्यप्रणाली SDG मैपिंग तथा संशोधित रियो–मार्कर पद्धति पर आधारित है। नीचे दी गई तालिका (तालिका 2) में प्रत्येक योजना और उसके उद्देश्यों और घटको को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए विस्तार से समीक्षा की गई है। योजना के स्कोर तक पहुँचने के लिए योजनाओं के विभिन्न घटकों का अंकन किया गया है। योजना के स्कोर का आकलन करने में प्रयुक्त दिशा–निर्देश, भारत के एसडीजी, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) से जुड़े कार्य बिंदुओं एवं गतिविधियों के बीच सामंजस्य, जलवायु परिवर्तन पर

बिहार राज्य कार्य योजना (SAPCC), राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) तथा गतिविधियों के वर्गीकरण पर मौजूदा साहित्य जैसे पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों और व्यय का वर्गीकरण (CEPA), तथा बायोफिन वर्गीकरण पर आधारित है। एक योजना के स्कोर के आधार पर विभिन्न बजट शीर्षों की 'ग्रीन टैगिंग' के लिए एक टैगिंग प्रणाली विकसित की गई है। साथ ही योजनाओं के उद्देश्यों और मंशा के आधार पर एक ग्रीन कंपोनेंट टैगिंग सिस्टम विकसित किया गया है।

तालिका 2: महत्वपूर्ण श्रेणी के संदर्भ में हरित घटक का चित्रण :

हरित बजट महत्व	हरित अवयव (उदाहरणस्वरूप)
पूरी तरह से समर्पित– 100%	राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम, टाइगर प्रोजेक्ट, ई–वाहन योजना, ऊर्जा दक्षता, रिन्यूएबल उर्जा योजनाएं, इत्यादि।
बहुत अधिक– 90%–75%	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन, इत्यादि।
उच्च– 75%– 50%	भू–जल प्रबंधन और विनियमन, राष्ट्रीय भू–जल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम, इत्यादि।
मध्यम– 50%–25%	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इत्यादि।
कम– 25%–05%	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना, आदि।
सीमांत– 05% या इससे कम	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, एनसीसी, पर्यावरण स्वयंसेवी कार्यक्रम, सूचना और संचार सामग्री, इत्यादि।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम संबंधी बजट अनुमानों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।
- ग्रीन बजटिंग में केवल चुनिंदा विभागों के बजट अनुमानों, योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, इसलिए परिणाम या व्यय पूर्णतया सही स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं।
- पर्यावरण नियमों को बजट के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, ग्रीन बजट पर्यावरणीय व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।

उपर्युक्त कमियों के बावजूद ग्रीन बजट के निर्माण से संबंधित लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरणीय नीति, हरित अर्थनीति इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु बजट निर्माण एवं राजस्व प्राप्ति के क्रम में विचारणीय हो जाते है।

बिहार में हरित बजट निर्माण के संदर्भ में विभागवार संचालित/प्रस्तावित प्रमुख गतिविधियों का विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

बिहार राज्य में वर्ष 2022 के अंत तक वृक्षाच्छादन क्षेत्र को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्‌देश्य राज्य में पर्यावरण तथा उनपर निर्भर जीवन को स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाना है। इसके तहत राज्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2.51 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 3.97 करोड़ पौधे लगाए गए। बांस वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु भागलपुर एवं अररिया (कुसियारगांव) जिलान्तर्गत प्लान्ट टिशू कल्चर लैब की स्थापना की गई है एवं वृहद् स्तर पर पौधशालाओं की स्थापना की जानी है।

अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (Rehabilitation of Degraded Forests)

परंपरागत वन भूमि, मृदा जल संरक्षण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास तथा पूर्व में किए गए पुनर्वास का संपोषण किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों में कमी के लिए इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 85.15 लाख पौधे लगाए गए।

नहर तट फार्म

राज्य के नहर/नदी तटबंधों के किनारे वृक्षारोपण कार्य एवं विगत वर्ष में किए गए वृक्षारोपण कार्य को पूर्ण किये जाने की योजना है। इस कार्यक्रम के तहत नए पौधशालाओं की स्थापना की जानी है। वर्ष 2021–22 में नहरों के किनारे लगभग 285.5 कि.मी. में 3.56 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जा रहा है।

पथ तट फार्म

राज्य के पथ तटों पर वृक्षारोपण कार्य एवं विगत वर्ष में किए गए वृक्षारोपण कार्य का संपोषण किया जाना है। शहरी वानिकी, आगम–निर्गम पथ के अंतर्गत जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों पर वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा पौधशालाएं स्थापित की जाएंगी और उनके द्वारा रैयती भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्क का विकास किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 309 लाख पौधे लगाए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 14.76 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पौधशालाओं में 350.93 लाख पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संपोषण किया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अनुदान की राशि से प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगा। इस योजना के तहत सभी जिलों में वायु प्रबोधन केन्द्र एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्णिया जिलान्तर्गत कार्यालय–सह–लैब की स्थापना प्रस्तावित है।

व्याघ्र परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)

राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मिकीनगर में कुल 898.94 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को टाईगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2018–19 में यहां बाघों की कुल संख्या 26 से 37 के बीच पाई गई है। वहीं तेंदुओं की संख्या 90 से 106 तक पाई गई है। वर्तमान में कैमरा ट्रैप विधि से की गई गणना प्रतिवेदन एवं फोटो के आधार पर बाघों की संख्या में वृद्धि का अनुमान है।

गज परियोजना

राज्य के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों के साथ अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण और उनके अधिवास संवर्द्धन के कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में हाथियों के रहने के लिहाज से अनुकूल अधिवास तैयार करने के लिए वनों के अंदर कार्य किया जाएगा। हाथियों और वन्य प्राणियों से मानवों के टकराव की घटनाओं में कमी लाने के कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे।

डॉलफिन संरक्षण

डॉलफिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है। राज्य में देश का एकमात्र डॉलफिन आश्रयणी अवस्थित है। यह आश्रयणी सुल्तानगंज से कहलगांव तक भागलपुर जिला में 60 कि0मी0 गंगा नदी की लंबाई में फैली हुई है और विक्रमशिला गंगेय डॉलफिन के नाम से प्रसिद्ध है। डॉलफिन के संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 3052.00 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। पटना में राष्ट्रीय डॉलफिन शोध संस्थान की भी स्थापना की गई है।

गंडक नदी में घड़ियाल संरक्षण

गंडक नदी में घड़ियाल एवं अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु 120 कि0मी0 क्षेत्र में संरक्षण क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है। गंडक नदी में घड़ियाल की कुल छः प्रजनन केन्द्रों की पहचान की गई है। जून, 2020 में इन केन्द्रों से 114 घड़ियाल के बच्चे गंडक नदी में छोड़े गए है।

एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास

इस योजना के अंतर्गत वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। वनों की आग से सुरक्षा के लिए स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। प्राकृतिक वनों की आग से सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ढ़ांचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना

इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर पौधशाला लगाने का और उच्च गुणवत्ता के पौधों की प्राप्ति के लिए पौधशालाएं स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम

यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना अंतर्गत राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय समुदायों के आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 450 हे. में लगाए गए 6.95 लाख पौधों का संपोषण कार्य किए जाने एवं 1,935 हे. में 12.43 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया था।

कैम्पा फंड

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण के माध्यम से वनों के विकास एवं मृदा जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई जाती है। मृदा जल संरक्षण के तहत Micro Watershed क्षेत्र को चिन्हित कर उसमें अवस्थित विभिन्न नाला/जल स्रोतों का बहने से बचाने, जल एवं मृदा के क्षरण को रोकने हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जाना है। वन प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कुल 480 हेक्टेयर में चारागाह का विकास किया जा रहा है। कैम्पा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020–21 में 39.46 लाख पौधों का संपोषण कार्य एवं 38.63 लाख पौधों का रोपण किये जाने का लक्ष्य था। वर्ष 2021–22 में कुल 78.02 लाख पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

नाला निर्माण, मलजल निकासी एवं अन्य स्वच्छता

राज्य के विभिन्न शहरों में नागरिक सुविधा एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों के माध्यम से नाला निर्माण, सिवरेज निर्माण एवं उनके रख–रखाव संबंधी कार्य कराए जाते हैं, जो अपशिष्ट प्रबंधन के फलस्वरूप प्रदूषण में कमी एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। इस कार्यक्रम के तहत विशेष स्वच्छता अनुदान मद में स्वच्छता सामग्री की खरीद की जाती है और घर–घर से कचरा का उठाव करने के लिए राशि आवंटित की जाती है, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान

जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर एवं कुओं का जीर्णोद्धार आदि कार्य कराया जाता है। साथ ही चापाकल एवं कुओं के नजदीक सोख्ता निर्माण का भी कार्य कराया जाता है, जो जल संरक्षण में और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देता है।

मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना

मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 10 फीट से कम चौड़ाई वाली गलियों का निर्माण पेवर ब्लॉक से कराया जाता है। यह जल संभरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।

स्वच्छ भारत मिशन योजना

इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाता है।

अमृत योजना/स्मार्ट सिटी मिशन

इस योजना के अंतर्गत पार्कों का निर्माण, जलापूर्ति योजना, वर्षा जल निकासी योजना एवं Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) योजना क्रियान्वित है। पार्क विकास योजना के अंतर्गत हरित स्थल/वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। वर्षा जल निकासी योजना के अंतर्गत वर्षा जल प्रबंधन का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति

योजना के अंतर्गत भूगर्भ जल संचयन एवं संभरण पीट भी बनाया जा रहा है, जिनमें जितनी जगह स्टैंड–पोस्ट लगेंगे, वहां रिचार्ज पीट भी बनाने का प्रावधान है। FSSM योजना के अंतर्गत घर के शौचालयों की टंकी से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन किया जाएगा। उक्त सभी कार्य पर्यावरण के हित में किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है जो पर्यावरण हित में है।

झीलों का सौंदर्यीकरण

झीलों का सौंदर्यीकरण मद के अंतर्गत झीलों का सौंदर्यीकरण कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।

स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना–2 के अंतर्गत नगर निकायों में जल जमाव समस्या के समाधान हेतु सभी नगर निकायों में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास कराए जाने की योजना है।

पटना मेट्रो रेल परियोजना

पटना शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु चयनित मार्गों पर मेट्रो रेल का निर्माण कार्य वृहद् स्तर पर कियाजा रहा है। इस परियोजना का लाभ शहरी स्तर पर यातायात को सुगम बनाना तथा उससे होने वाले वायु प्रदुषण पर नियंत्रण पाना है।

परिवहन विभाग

वाहन परिमार्जन नीति

बिहार राज्य में 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर हरित कर का अधिरोपण–पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 9 अप्रैल, 2010 के गजट प्रकाशन द्वारा जोड़े गए बिहार मोटरयान अधिनियम, 1994 की धारा 5 की उपधारा (6) के अनुसार प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा, जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना तिपहिया, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर से भिन्न निबंधित वाहन है, अतिरिक्त कर सहित कुल कर का 10 प्रतिशत हरित कर के रूप में देय है। 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों के परिचालन पर रोक है। वाहनों से उत्सर्जित होने वाले गैस और धूलकण वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है अतः सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा व्यवहृत 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के सरकारी तथा व्यवसायिक वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

बिहार स्वच्छ इंधन योजना

पटना नगर निगम क्षेत्र में वाहन जनित प्रदूषण की समस्या के निदान के उद्देश्य से 31.01.2021 से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, पटना नगर निगम के आस–पास के दानापुर नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद् एवं खगौल नगर परिषद् क्षेत्र में भी डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है जो दिनांक 31.03.2021 से प्रभावी है। इन क्षेत्रों में सी.एन.जी. और बिजली से चलने वाले तिपहिया वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार स्वच्छ इंधन योजना लागू की गयी है। इसके अंतर्गत डीजल और पेट्रोल चालित जिन तिपहिया वाहनों की बैठाने की क्षमता चालक सहित 7 व्यक्तियों तक है, उनको नए सी.एन.जी. चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40,000/– रु. (चालीस हजार रुपए मात्र) एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल चालित जिन तिपहिया वाहनों की बैठाने

की क्षमता चालक सहित 7 व्यक्तियों तक है, उनको नए बैटरी चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000/–रु. (पच्चीस हजार रुपए मात्र) एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। जिन पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों की बैठाने की क्षमता 7 व्यक्तियों तक है, उनमें सी.एन.जी. किट लगवाने पर 20,000/–रु. एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। व्यवसायिक मोटर कैब तथा मैक्सी कैब में सी.एन.जी. किट लगवाने पर भी 20,000/– रु. एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की डीजल बसों का सी.एन.जी में संपरिवर्तन– पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सिटी बस सर्विस में परिचालित डीजल बसों को सी.एन.जी. चालित बसों में संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2019–20 में सब्सिडी के रूप में 3,00,00,000/–(तीन करोड़) रु. का भुगतान किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अधिक से अधिक सी.एन.जी. चालित बसों के क्रय का निर्णय लिया गया है।

विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहन

फेज II अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहित किए जाने के क्रम में 25 विद्युत चालित बसों को ओपेक्स मॉडल के तहत प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निगम द्वारा बसों का परिचालन शीघ्र प्रारंभ होगा। वाहन जनित उत्सर्जन से पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिवहन विभाग की पहल पर प्रथम चरण में विभिन्न कार्यालयों में उपयोग हेतु EESL से मासिक लीज पर 6 विद्युत चालित कार लिए गए हैं। उसके बाद अन्य कार्यालयों द्वारा भी 4 विद्युत चालित वाहन EESL से मासिक लीज पर लिए गए हैं। परिवहन विभाग सहित अन्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा विद्युत चालित कारों का उपयोग किया जा रहा है। विद्युत चालित वाहनों के निबंधन में पथ कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है। विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार विद्युत चालित वाहन एवं चार्जिंग स्टेशन प्रोत्साहन नीति सूत्रबद्ध की गयी है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा समाज के वंचित वर्गों के बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत एक पंचायत के पाँच चयनित लाभुकों को वाहन की खरीद पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 1.00 लाख रु. अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत ई–रिक्शा की खरीद की मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत चयनित लाभुक को ई–रिक्शा की खरीद पर मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70,000/– रु. अनुदान का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 182 करोड़ रु. के कुल बजट उपबंध में से कुल 3 करोड़ 57 लाख रु. का ई–रिक्शा की खरीद पर अनुदान स्वरूप भुगतान किया गया है।

प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना

वाहनजनित प्रदूषण को कम करने के लिए मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वाहनों के प्रदूषण जाँच के लिए अधिक से अधिक प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसको गति देने के लिहाज से प्रदूषण जाँच केन्द्रों की

स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी को दी गई है। अभी तक राज्य में 780 प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जा चुके हैं। प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र निकासी को भी ऑनलाइन किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदूषण जाँच किए गए वाहनों का डेटा सुरक्षित रहेगा और चूक करने वाले वाहनों की जाँच सुगम हो जाएगी।

सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन की स्थापना

गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पटना शहर में विभिन्न स्थानों पर तत्काल पाँच सी.एन.जी. केंद्रों की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा सी.एन.जी. वाले ऑटो और कार में सी.एन.जी. की आपूर्त्ति की जा रही है। अतिरिक्त सी.एन.जी. फिलिंग केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पथ कर में छूट

सभी प्रकार के बैटरी चालित वाहन के निबंधन में पथ कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर और गया के शहरी क्षेत्रों में डीजल चालित ऑटो के नए परमिट स्वीकृत नहीं किए जाने का निदेश संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को दिया गया है।

कृषि विभाग

जैविक कॉरिडोर योजना

कृषि विभाग द्वारा जो बजट खर्च किया जाता है, उसमें अधिकांश हिस्सा हरियाली पैदा करने के लिए किया जाता है जो ग्रीन बजट का प्रमुख भाग है। राज्य में जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत एकवर्षीय एवं बहुवर्षीय फसलों के क्षेत्र विस्तार की योजना क्रियान्वित की जा रही है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती पर बल दिया जा रहा है। ड्रिप इरीगेशन का उपयोग किया जा रहा है।

भूमि संरक्षण

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में भूमि और जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, पौध रोपण प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन, भूमिहीन किसानों के लिए कार्यक्रम एवं उत्पादन प्रणाली, स्प्रिंकलर/ड्रिप इरीगेशन की योजना, पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

सिंचाई निश्चय योजना

बिहार राज्य सात निश्चय–2 के अन्तर्गत राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलबध कराया जाना है। इस के अंतर्गत राज्य में 21 हजार नलकूप तथा 2.5 हजार नए आहर–पाईन की उड़ाही की योजना है। साथ ही छोटे तथा बड़े जल श्रोतों पर 800 नए चेक डैम एवं उत्तर बिहार में 1.5 हजार लिफ्ट–इरीगेशन की व्यवस्था किये जाने की योजना है। इन जैसे सभी कार्यों से जल संरक्षण तथा पर्यावरण सुधार में सीधा योगदान होगा।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण

विभाग द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन भवनों में यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। पारंपरिक ईट भठ्ठों से उत्पादित ईंटों के स्थान पर शत–प्रतिशत फ्लाई ऐश ब्रिक का उपयोग किया जा रहा है। रिफ्लेक्टिव ग्लास एवं पेंट का प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल तथा मलजल उपचार संयंत्र इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान

भू–जल स्तर के संभरण के लिए सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्माण में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर हटाकर दूसरी जगह लगाया जा रहा है।

बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी

भवन के विद्युत कार्यो में एल.ई.डी. बल्बों का प्रयोग किया जा रहा है। वातानुकूलन में इन्वर्टर टाइप, 4/5 स्टार रेटिंग वाले एयरकंडिशनर का प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत उपकरणों/बल्बों को ससमय ऑफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भवन निर्माण विभाग के स्तर से सरदार पटेल भवन, सम्राट अशोक सम्मेलन केन्द्र, बिहार संग्रहालय, अबुल कलाम साइंस सिटी इत्यादि विभिन्न महत्वपूर्ण भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण से निपटना बिहार के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए राज्य सरकार ने कारगर तरीके से इसका मुकाबला करने का बड़ा फैसला किया है। तीन साल में 7.50 करोड़ पेड़ लगाकर बिहार की धरती को 17 फीसदी हरित आच्छादन उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। साथ ही, अक्षय उर्जा (सौर उर्जा) के अधिकाधिक उपयोग के लिए भी सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे है। शिक्षा विभाग द्वारा इस कड़ी में निम्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। राज्य में अवस्थित प्राथमिक, मध्य एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार (अवकाश की स्थिति में अगले दिन बुधवार) को पूर्वाहन 11.00 बजे से 12.00 तक जल–जीवन–हरियाली दिवस मनाने के लिए विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर सरकारी विद्यालय के बच्चों को निकटवर्ती महत्वपूर्ण जल सरंचनाओं के भ्रमण एवं उस दौरान उनकी उपयोगिता एवं महत्व बताने के लिए प्रेरक/समन्वयक द्वारा जानकारी दिए जाने का निदेश दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचयन योजना

राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत प्रथम चरण में चिन्हित 3,125 विद्यालयों में 80,000/– रु. (अस्सी हजार रुपए) मात्र प्रति विद्यालय की दर से व्यय करके वर्षा जल संचयन व्यवस्था का निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण में चिन्हित विद्यालयों में 50,00,00,000/– रु. (पचास करोड़ रुपए) मात्र व्यय किए जाने की योजना है।

माध्यमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचयन योजना

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चिन्हित 1,500 मध्य विद्यालयों में, जिनमें अप्रैल 2020 से नवीं कक्षा तक पढ़ाई की जानी है, 80,000/– रु. (अस्सी हजार रुपए) मात्र प्रति विद्यालय की दर से वर्षा जल संचयन व्यवस्था का निर्माण किए जाने की योजना है।

चापाकलों के किनारे सोख्ता/अन्य जलसंचय संरचना निर्माण योजना

राज्य के प्रत्येक विद्यालय में बालक–बालिकाओं द्वारा पेयजल हेतु चापाकलों/अन्य स्रोतों का उपयोग किया जाता है। चापाकल/अन्य स्रोत से भू–गर्भ जल निकालकर अलग–अलग कार्यों में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया हुआ जल बहकर नष्ट हो जाता है और उससे आस–पास गंदगी/कीचड़ फैलता है। अतः शिक्षा विभाग ने अन्य विभागों से समन्वय करके राज्य में अवस्थित प्राथमिक, मध्य एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक चापाकलों/अन्य स्रोतों के किनारे सोख्ता का निर्माण कराने का निर्णय लिया है।

पौधशाला स्थापना और सघन वृक्षारोपण

विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल–जीवन–हरियाली को लेकर विभिन्न आयोजनों का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत पौधशाला स्थापना और सघन वृक्षारोपण के प्रति जागृति हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि 7.50 करोड़ पौधे लगाने के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तय लक्ष्य की दिशा में कार्य किया जा सके।

विद्यालयों में सोलर सिस्टम लगवाने की योजना

शिक्षा विभाग द्वारा उर्जा विभाग के सहयोग से प्रथम चरण में प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक–एक विद्यालय को सौर उर्जा युक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।

बैटरी चालित विद्युत वाहन

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए बैटरी चालित, विद्युत अथवा सी.एन.जी. चालित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने के साथ–साथ वायु प्रदूषण कम किया जा सके।

ऊर्जा–कुशल उपकरणों से बदलने की योजना

शिक्षा विभाग के राज्य स्तर से क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में अधिक खपत करने वाले विद्युत बल्बों की जगह एल.ई.डी. बल्बों का और बिजली की कम खपत करने वाले पंखों, ए.सी. तथा अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्राकृतिक प्रकाश के अधिकाधिक उपयोग लायक कमरों का निर्माण करने की पहल की जा रही है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

जल–जीवन–हरियाली अभियान में व्यापक जन भागीदारी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य भर में होर्डिंग–फ्लैक्स, अखबारों में विज्ञापन, ऑडियो–विजुअल प्रचार रथ, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा हॉल, मोबाइल

संदेश तथा जल–जीवन–हरियाली यात्रा द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल–जीवन–हरियाली अभियान के व्यापक प्रसार–प्रचार के लिए उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यों पर कुल 11.50 करोड़ रु. व्यय हुए हैं।

लघु जल संसाधन विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा इस अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में एक एकड़ से बड़े रकबा वाले आहर–पइनों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। छोटी–छोटी नदियों पर चेक डैम/वीयर का निर्माण भी विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ ही राजकीय नलकूप के किनारे सोख्ता (सोक पिट) निर्माण का कार्य किया जाना है। इसके अंतर्गत सार्वजानिक भूमि पर बड़े–बड़े जल निकायों और पहाड़ों के चारो तरफ Garland Trench निर्माण का कार्य भी किया जायगा। उक्त योजनाओं के निर्माण से सिंचाई सुविधा के साथ–साथ जल संचयन तथा भू–गर्भ जल के संभरण का कार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में आहर–पइन/वीयर की 202 योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं और 1,413 योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजनाओं के अतिरिक्त आहर–पइन/तालाब/चेक डैम/Garland Trench के निर्माण का लक्ष्य है।

सिंचाई–निश्चय योजना

बिहार राज्य सात निश्चय–2 के अन्तर्गत के राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलबध कराया जाना है। इसके अंतर्गत राज्य में 21 हजार नलकूप तथा 2.5 हजार नए आहर–पइन की उड़ाही की योजना है। साथ ही छोटे तथा बड़े जल श्रोतों पर 800 नए चेक डैम एवं उत्तर बिहार में 1.5 हजार लिफ्ट–इरीगेशन की व्यवस्था किये जाने की योजना है। इन सभी कार्यों से जल संरक्षण तथा पर्यावरण सुधार में सीधा योगदान होगा।

ग्रामीण कार्य विभाग

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

बिहार में ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 लागू की गई है। इस नीति के तहत प्राक्कलन में सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण का प्रावधान किया जाता है। वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि परिमाण विपत्र में अंकित प्रति वृक्ष की दर का 30 प्रतिशत प्रति वृक्ष के हिसाब से भुगतान किया जाएगा एवं पाँच वर्षों तक वृक्षों के संधारण के उपरांत शेष 70 प्रतिशत राशि देय होगी जिसमें से मृत वृक्षों की राशि शत–प्रतिशत घटा दी जाएगी। वर्त्तमान में विभाग द्वारा कुल 6,413 पथों (कुल लंबाई 19,500 कि.मी.) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–1

कालीकृत पथों के निर्माण में बिटुमेन के वजन के 6 से 8 प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरा का प्रयोग किया जा रहा है। इसयोजना के अंतर्गत 491 पथ (कुल लंबाई 838.783 कि.मी.) स्वीकृत हैं जिनमें से 355 पथों (कुल लंबाई 589.578 कि.मी.) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 के अंतर्गत भी कुल 337 पथों (कुल लंबाई 1,923.654 कि.मी.) की स्वीकृति प्रदान की गई है। पथों में प्लास्टिक कचरा की आपूर्ति हेतु पटना नगर निगम को विभाग द्वारा 10.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

गन्ना उद्योग विभाग

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता और चीनी प्राप्ति के प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा उक्त योजना के तहत पानी की कम जरूरत वाले गन्ना के प्रभेद CoP-9301,CO-98014 और CoLK-94184 चयनित हैं, जिन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।

जल संसाधन विभाग

बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना

बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से राज्य में सृजित हो सकने वाली कुल 53.53 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में से मार्च 2019 तक 30.038 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ था। वर्ष 2019–20 में कुल 21.481 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 28.683 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया गया है। वर्ष 2021–22 में कुल 87.954 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

बाढ़–सुरक्षा तथा जल निकासी योजना

बिहार में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (94.16 लाख हेक्टेयर) का 73.06 प्रतिशत तथा भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल (400 लाख हेक्टेयर) का 17.20 प्रतिशत है। विशेष कर, उत्तर बिहार की स्थिति बाढ़ की दृष्टि से अत्यधिक गंभीर है। बाढ़ की समस्या से निदान के लिए बिहार में अब तक 3,834 कि.मी. तथा नेपाल वाले भाग में 68 कि.मी. तटबंध का निर्माण कराया गया है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

मत्स्य संपदा

सात निश्चय–2 के अंतर्गत मत्स्य सम्पदा योजना द्वारा बायोफ्लॉक एवं आर.ए.एस तकनीक से मत्स्य पालन एवं मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास जैसे कार्यों की योजना है, जिससे मछलियों का संवर्धन/उत्पादन, निजी तालाब का जीर्णोद्धार एवं खुली जल स्रोतों में मछली पालन पर राशि का व्यय किया जाना है।

ऊर्जा विभाग

जल–विद्युत परियोजना

इस परियोजना के अंतर्गत पुनर्स्थापन के जरिए नवीकरण, 13 जल–विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली, और कोसी नहर प्रणाली के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन पर कुल 136.4 मेगावाट की क्षमता से जल–विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत बेतिया जल–विद्युत परियोजना की क्षमता 80 मेगावाट, बगहा जलविद्युत परियोजना की क्षमता 50 मेगावाट, रघुनाथपुर जलविद्युत परियोजना की क्षमता 2 मेगावाट, तथा बारा गोविंदपुर जलविद्युत परियोजना की क्षमता 4.4 मेगावाट स्थापित करने का लक्ष्य है।

नीचे मछली उपर बिजली

नीचे मछली उपर बिजली के तहत दरभंगा जिले में 2 MWp क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट का अधिष्ठापन एवं सुपौल जिला में 525 KWp क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट का अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

हरित उर्जा

विकास के दौर में जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से वैश्विक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस समस्या से निपटने हेतु विश्व स्तर पर हरित एवं अक्षय उर्जा स्रोतों की खपत को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस दिशा में बिहार राज्य के द्वारा भी कतिपय कदम उठाए गए हैं। एक नई पहल के तौर पर हमने राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यथा– राजगीर, बोधगया एवं पटना शहर के कुछ हिस्सों को परंपरागत उर्जा के स्थान पर 24 घंटे हरित उर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

इस व्यवस्था से बिहार पूरे देश का ऐसा प्रथम राज्य हो जायेगा, जहां 2 महत्वपूर्ण शहरों को हरित उर्जा की आपूर्ति की जायेगी। साथ ही स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल उर्जा होने के कारण यह सरकार के जल–जीवन–हरयाली अभियान के प्रोत्साहन में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

इस योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिसके तहत सार्वजनिक भूमि एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाले फल–फूल आदि के उपभोग का अधिकार भी ग्रामीणों को दिया जाता है। भूजल संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मनरेगा के तहत जल संरक्षण से संबंधित योजनाएं–यथा सार्वजनिक तालाब/पोखर/पइन का जीर्णोद्धार, निजी भूमि पर खेत–पोखर का निर्माण एवं भूजल संभरण हेतु सोख्ता और छत आधरित वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया जाता है। साथ ही, छोटी–छोटी नदियों में उड़ाही का कार्य भी किया जाता है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

इस योजना के अंतर्गत जन–स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समुचित पोषण की स्थिति में सुधार के लिए बिहार राज्य को खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य है। इस अभियान के तहत राज्य लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के किए समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, क्षमतावर्द्धन और सूचना, शिक्षा एवं संचार इत्यादि द्वारा परिवारों और समुदायों को खुद से शौचालय निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है।

उद्योग विभाग

माननीय एन.जी.टी. न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 10 सी.ई.टी.पी. का निर्माण फतुहा (जिला–पटना), हाजीपुर (जिला–वैशाली), बेला (मुजफ्फरपुर), बरारी (जिला–भागलपुर), पाटलीपुत्रा (जिला–पटना), ग्रोथ सेंटर (जिला–औरंगाबाद), ग्रोथ सेंटर, गिधा औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदरपुर, बिहटा, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा में किया जाना है।

इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति

बिहार राज्य इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकूल नियामक एवं संस्थागत पर्यावरणीय राज्य में 17 इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रहा हैं जो हर साल कम से कम 35.2 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन क्षमता होगा। ये इकाईयाँ गन्ने, गुड़, मक्का और चावल का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए करेंगी और इसे तेल कंपनियों को पेट्रोल और बाद में डीजल में सम्मिश्रण के लिए आपूर्ति करेंगी। इसके तहत मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन पर जोर दिया जायेगा। इसके लिए सरकारी एवं अन्य संस्थानों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि जैव ऊर्जा प्रक्षेत्र में प्रचुर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन योजनाओं / परियोजनाओं में यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। 'हर घर नल का जल योजना' के प्रारंभिक चरणों से ही ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है जो यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल हों। इसके साथ–साथ योजना स्थल के आस–पास वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल–जीवन–हरियाली योजना के अंतर्गत पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक कुओं और सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विद्युत उपकरणों / बल्बों को ससमय ऑफ करने की व्यवस्था, एलईडी बल्बों के प्रयोग, यथासंभव एयरकंडीशनर के कम उपयोग और पंखों / कूलरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना, कार्यालय अवधि में खिड़की के माध्यम से प्राकृतिक रोशनी का उपयोग आदि की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल है।

पथ निर्माण विभाग

बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0 द्वारा पथ निर्माण परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर होनेवाले नकारात्मक प्रभाव रोकने के निम्न उपाय किए गए हैं :–

- क्षतिपूरक वनारोपण लगाए जा रहे हैं। प्रस्तावित मार्ग से अलग हटकर पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है। पेड़ बचाने हेतु डिजाईन में छोटे–मोटे बदलाव भी इस प्रकार से किए जाते हैं कि पर्यावरण संबंधी सौंदर्य पुनः स्थापित हो सके।
- सड़क निर्माण के दौरान भू–जल सिंचाई गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणालियों एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली का भी विकास किया जाता है। परियोजना के दौरान जहां कृषि क्षेत्रों और किसी अन्य उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी की उपरी परत को हटाना हो, वहां 150 मि.मी. गहराई तक की मिट्टी को हटाकर 2 मीटर की अधिसीमा अंतर्गत ढेरों के रूप में जमा किया जाता है। इस उपरी परत को जमा करने हेतु अधिग्रहित क्षेत्र अथवा सड़क के एक हिस्से को चिन्हित किया जाता है। इस मिट्टी का इस्तेमाल अधिग्रहित क्षेत्र अंतर्गत गड्ढों को भरने, अधिग्रहित अस्थायी भूमि को भरने, किसानों के खेतों में कटी मिट्टी से उत्पन्न गड्ढे को भरने में किया जाता है। भूमि प्रदूषण में कमी हेतु परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित क्षेत्रों / प्रयुक्त क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाता है।
- सड़क निर्माण क्षेत्र में धूल नहीं उड़ने देने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। क्रशर इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में धूल उड़ने से रोकने हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलों जैसे संवेदनशील स्थानों के आस–पास 'नो हॉर्न' का सूचना–पट्ट लगाया जाता है।

तालिका 3

भारत की तुलना में बिहार के पर्यावरण एवं सतत विकास की वस्तु स्थिति पर एक नजर

क्रं. सं.	विवरण	भारत	बिहार
1	कुल जनसंख्या (जनगणना 2011)	1,210,854,977	104,099,452
2	भौगोलिक क्षेत्र (जनगणना 2011)	3,287,240 km^2	94,163 km^2
3	जनसंख्या घनत्व (जनगणना 2011)	382/ km^2	1,102/ km^2
4	वन क्षेत्र (ISFR 2019)[1]	7,74,802 km^2	6,473 km^2
	वृहद् घने वन (ISFR 2019)	99,278 km^2	333 km^2
	मध्यम घने वन (ISFR 2019)	3,08,472 km^2	3,280 km^2
	खुले वन (ISFR 2019)	3,04,499 km^2	3,693 km^2
5	कुल वन आवरण (ISFR 2019)	7,12,279 km^2	7,306 km^2
6	सतत् विकास लक्ष्य (SDG 2020-21)[2] श्रेणी[2]	66	52
7	स्वच्छ जल और स्वच्छता (SDG 6)	83	91
	सस्ती और स्वच्छ उर्जा (SDG 7)	92	78
	जलवायु कार्रवाई (SDG 13)	54	16
	भूमि पर जीवन (SDG 15)	66	62

1. भारत वन स्थिति रिर्पोट (ISFR) 2019
2. नीति आयोग SDG रिपोर्ट, 2020–21

तालिका 4

हरित बजट विवरण

विवरण	बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (लाख रु. में)	बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2021–22 (लाख रु. में)
राज्य का कुल बजट आकार	21176149.00	21830270.00
हरित बजट अंतर्गत शामिल विभागों का कुल स्कीम बजट उपबंध (विभाग–वार)	8117645.86	7935972.71
हरित बजट संबंधी शीर्ष में कुल बजट उपबंध	2716285.38	2933733.21
कुल हरित बजट	569388.06	768291.45
हरित बजट के लिए शामिल विभागों के कुल स्कीम बजट का हरित प्रतिशत	7.01 %	9.68%
हरित बजट संबंधी शीर्ष अंतर्गत कुल उपबंध का हरित प्रतिशत	21.00 %	26.19%

तालिका 5 : हरित बजट विभागवार सारांश

क्र. सं.	विभाग	बजट अनुमान वर्ष 2021–22 (राशि लाख रू0 में)				
		विभाग का कुल स्कीम उपबंध	हरित बजट संबंधी शीर्ष में कुल उपबंध (BE)	हरित बजट (Green BE)	विभागों के स्कीम उपबंध का हरित प्रतिशत	हरित बजट शीर्ष में कुल उपबंध का हरित प्रतिशत
1	कृषि	253388.00	157256.68	88076.25	34.76	56.01
2	उद्योग	119000.00	1000.00	1000.00	0.84	100.00
3	पशु एवं मत्स्य संसाधन	117696.47	61246.60	34939.79	29.69	57.05
4	पर्यटन	25140.00	20800.00	500.00	1.99	2.40
5	पथ निर्माण	441000.00	258900.00	6260.00	1.42	2.42
6	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	249210.00	2500.00	2500.00	1.00	100.00
7	गन्ना उद्योग	10000.00	3000.00	1313.00	13.13	43.77
8	ग्रामीण कार्य	731300.00	734300.00	34840.09	4.76	4.74
9	लघु जल संसाधन	81000.00	69100.00	69000.00	85.19	99.86
10	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	53461.00	53461.00	53461.00	100.00	100.00
11	जल संसाधन	300750.00	300750.00	30075.00	10.00	10.00
12	भवन निर्माण	444258.24	101500.00	12270.98	2.76	12.09
13	स्वास्थ्य	692700.00	500.00	500.00	0.07	100.00
14	शिक्षा	2193903.00	13485.00	4343.45	0.20	32.21
15	ग्रामीण विकास	1640966.00	768486.00	297353.40	18.12	38.69
16	सूचना एवं जन–संपर्क	10100.00	8223.00	411.00	4.07	5.00
17	परिवहन	26900.00	21500.00	19500.00	72.49	90.70
18	नगर विकास एवं आवास	395200.00	350724.93	104947.49	26.56	29.92
19	उर्जा	150000.00	7000.00	7000.00	4.67	100.00
कुल बजट अनुमान		**7935972.71**	**2933733.21**	**768291.45**	**9.68**	**26.19**

परिणाम

चालू वित्त वर्ष में कुल हरित बजट उपबंध चिन्हित विभागों के कुल स्कीम उपबंध का लगभग 10 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021–22 का कुल हरित बजट 768291.45 लाख रु0 है जो कि चिन्हित विभागों के हरित बजट संबंधी शीर्ष के अंतर्गत कुल उपबंध का 26 प्रतिशत है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (वर्ष 2020–21 में 569388.06 लाख रुपये) से वर्तमान वर्ष में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि है। विभागों के अंतर्गत चिन्हित योजनाओं और कार्यक्रमों के योगदान में वृद्धि के कारण हरित बजट परिव्यय में वास्तविक वृद्धि देखी गई है। चालू वित्त वर्ष में, हरित बजट में कुल 31 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) और 73 राज्य प्रायोजित (एसएस) योजनाएं शामिल हैं जो पिछले वित्त वर्ष के बजट में क्रमशः 29 और 61 ही थीं। इस ग्रीन बजट में वैसे स्कीमों को शामिल किया गया है जिनका पर्यावरण पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और इसमें वैसे स्कीम शामिल नहीं हैं, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं (तालिका 5)। गौर करने वाली बात है की पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का योगदान ग्रीन बजट में शत प्रतिशत है। इसके अलावा, लघु जल संसाधन विभाग (85 प्रतिशत) और परिवहन विभाग (72 प्रतिशत) का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं कृषि और गन्ना विभागों का हरित हिस्सा लगभग 30–40 प्रतिशत है।

ग्रीन बजट में लिए गए स्कीमों के एसडीजी टैगिंग एवं इसके विश्लेषण से पता चलता है कि यह बजट मुख्य रूप से चार एसडीजी यथा–एसडीजी 13 (जलवायु परिवर्तन), एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन), एसडीजी 6 (जल और स्वच्छता), एवं एसडीजी 11 (सुव्यवस्थित शहरीकरण और समुदाय) को प्रदर्शित करता है। इस स्तर पर इन परिणामों को राज्य की पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में प्रारंभिक संकेत माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा एसडीजी 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा), एसडीजी 12 (उचित उत्पादन एवं खपत) जैसे अन्य लक्ष्यों और संकेतकों में अपेक्षित सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है।

बिहार एक कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वित हरित गतिविधियों को समझने की आवश्यकता है। विशेषकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा जैव विविधता के ह्रास के विरूद्ध अनुकूलता लाने एवं 'आत्म निर्भर भारत' के तहत क्रियान्वित किये जानेवाले कार्यक्रमों हेतु आधारभूत संरचना और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है।

सम्भावनाएं

राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य प्रतिबद्ध है। उदाहरण स्वरूप, राज्य सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2040 तक न्यूनतम स्तर तक सीमित करने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस परिपेक्ष्य में हरित बजट में चिन्हित योजनाओ/कार्यक्रमों पर संबंधित विभागों द्वारा विशेष रूचि लिए जाने की आवश्यकता है। आनेवाले वर्षों में हरित बजट वृहद रूप में तैयार किया जायेगा। जिन क्षेत्रों में पर्यावरण और सतत विकास लक्ष्य शामिल हो सकते हों, उनमें बेहतर योजना निर्माण, पहचान और मैंपिंग करने हेतु विभिन्न विभागों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाकर भविष्य में हरित बजट निर्माण संबंधी गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हरित बजट के विकास हेतु कार्यक्रमों का मूल्यांकन, परिणाम, तथा नीतिगत बदलाव की रूप रेखा तथा प्रभावी वित्तीय योजना जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल किये जा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में हरित बजट निर्माण के लिए चिह्नित योजनाओं की विभागवार संख्या

क्र. सं.	विभाग	रेंज 100%		रेंज 90-75%		रेंज 75-50%		रेंज 50-25%		रेंज 25-05%		रेंज 05%-से कम		कुल विभाग–वार योजनाएं (2021-22)
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
2	लघु जल संसाधन	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	परिवहन	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
4	शिक्षा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	4
5	ग्रामीण विकास	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	5	2	8
6	ऊर्जा	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	नगर विकास एवं आवास	1	1	3	3	0	0	5	3	4	4	2	2	15
9	उद्योग	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	भवन निर्माण	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	6
11	कृषि	1	0	3	3	8	8	7	6	4	3	0	0	23
12	पशु एवं मत्स्य संसाधन	5	3	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	11
13	जल संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	0	0	11
14	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3
15	गन्ना उद्योग	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
16	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	5
17	सूचना एवं जनसंचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
18	पर्यटन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
19	स्वास्थ्य	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल चिह्नित योजनाएं	**38**	**32**	**7**	**7**	**11**	**10**	**14**	**11**	**27**	**23**	**22**	**13**	

विभागवार चिह्नित कार्यक्रम/योजना का हरित बजट विवरण

श्रेणी 'A' - हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूरी तरह से समर्पित)

बजट अनुमान

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
पर्यावरण एवं वन विभाग							
1	19-2406011010109	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	200.00	895.00	895.00	परंपरागत वन भूमि मृदा–जल संरक्षण, अवकृष्ट वनों के पुनर्वास तथा पूर्व में किए गए पुनर्वास के कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 85.15 लाख पौधे लगाए गए।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग
2	19-2406017890101		2400.00	4500.00	4500.00		
3	19-2406017960103		450.00	605.00	605.00		
4	19-2406018000101	नहर तट फार्म	100.00	2261.00	2261.00	राज्य के नहर/ नदी तटबंधों के किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा तथा विगत वर्ष में किए गए वृक्षारोपण कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा तथा पौधशाला की स्थापना की जाएगी। 285.5 कि0मी0 में 3.56 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग
5	19-2406017890102		400.00	1174.00	1174.00		
6	19-2406018000105	पथ तट फार्म	7100.00	4385.00	4385.00	राज्य के पथ तटों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। शहरी वानिकी, आगम–निर्गम पथ के अंतर्गत जिला/ अनुमंडल/ प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली संड़क पर वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा पौधशाला स्थापित करना तथा उनके द्वारा रैयति भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्क का विकास किया जाएगा। पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा। पौधशाला में पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संपोषण किया जाएगा।	प्राकृतिक संसाधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
7	19-2406017890103		4400.00	4000.00	4000.00		
8	19-2406011010111	जल–जीवन–हरियाली	14262.27	17000.00	17000.00	इसके तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3.97 करोड़ पौधे लागाए गये।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2021–22		
			हरित बजट अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
9	19-2406021100121	वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	1000.00	300.00	300.00	राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं संर्वद्धन कार्य।	पर्यावरण प्रबंधन
10	19-2406011050105	प्लांट टिशू कल्चर लैब	207.73	200.00	200.00	उत्तम गुणवत्ता के पौधे तैयार करना।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी
11	19-2406021100324	बाघ परियोजना	596.00	638.60	638.60	राज्य के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनके अधिवास संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी
12	19-2406021100224		1008.00	2247.85	2247.85	राज्य के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनके अधिवास के संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी
13	19-2406021100326	गज परियोजना	51.00	50.00	50.00	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल अधिवास तैयार करने हेतु वनों के अंदर कार्य किया जाएगा। हाथियों से मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की घटनाओं को भी कम करने के कार्य इस योजनांतर्गत किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी
14	19-2406021100226		76.00	176.38	176.38	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल अधिवास तैयार करने हेतु वनों के अंदर कार्य किया जाएगा। हाथियों से मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की घटनाओं को भी कम करने के कार्य इस योजनांतर्गत किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी
15	19-2406021100323	एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	457.70	455.30	455.30	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। वनों को वनाग्नि से सुरक्षा एवं स्थानीय व्यक्तियों को अग्नि सुरक्षा में सहयोग प्राप्त किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी
16	19-2406021100327	राष्ट्रीय जलीय परितंत्र संरक्षण योजना	46.20	50.77	50.77	इस योजनांतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी
17	19-2406021100227		69.30	179.09	179.09	इस योजनांतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।	
18	19-2406041010304	समेकित वन प्रबंधन	143.10	201.33	201.33	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढांचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
19	19-2406041010204		302.00	710.20	710.20	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढॉचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	
20	19-2406041010305	राष्ट्रीय बांस मिशन	204.00	57.00	57.00	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
21	19-2406047890301		13.34	40.00	40.00		
22	19-2406047960301		6.66	25.00	25.00		
23	19-2406041010205		300.00	172.86	172.86	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	
24	19-2406047890201		26.00	150.00	150.00		
25	19-2406047960201		10.00	107.50	107.50		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2021–22		
			हरित बजट अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
26	19-2406041010301	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	237.00	237.00	237.00	राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्थानीय समुदायों की आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। 450 हे0 में लगाए गए 6.95 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जायेगा एवं 1935 हे0 में 12.43 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
27	19-2406041010201		600.00	836.03	836.03	(राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम) (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) – राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्थानीय समुदायों के आमदनी बढ़ाने एवं रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। 450 हे0 में लगाए गए 6.95 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जायेगा एवं 1935 हे0 में 12.43 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे।	
28	19-2406021100223	एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	833.70	1606.09	1606.09	वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। वन्य प्राणियों के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार किया जाऐगा।	पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी
29	19-4406010700101	सड़क एवं पुल	500.00	200.00	200.00	राज्य के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वन पथों का मरम्मती कार्य किया जाएगा जो वन क्षेत्रों में गश्ती में सहायक होगा तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करेगा।	पर्यावरण प्रबंधन
30	19-2406011050104	प्रदूषण पर्षद	2000.00	2000.00	2000.00	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अनुदान की राशि से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेंगे। इस योजना से सभी जिलों में प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।	प्रदूषण न्यूनीकरण अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
31	19-4406010700102	भवन निर्माण	6000.00	8000.00	8000.00	राजगीर में जू–सफारी का निर्माण। इस सफारी क्षेत्र में वन्य जीवों को प्राकृतिक अधिवास उपलब्ध कराया जाएगा। वन्य प्राणियों के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार का काम किया जाएगा।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन
		योगफल	**44000.00**	**53461.00**	**53461.00**		
उद्योग विभाग							
1	23-2852801020110	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	1000.00	1000.00	1000.00	औद्योगिक क्षेत्रों में Common Efuent Plantकी स्थापना की जायगी। इससे नदियों का पानी औद्योगिक प्रांगण/क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी से प्रदूषित होने से बचेगा।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी
		योगफल	**1000.00**	**1000.00**	**1000.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग							
1	36-4215011020103	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1905.00	1654.00	1654.00	कुओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य	हरित अधिसंरचना
2	36-4215017890111		1680.00	818.00	818.00		
3	36-4215017960107		115.00	28.00	28.00		
		योगफल	**3700.00**	**2500.00**	**2500.00**		
ऊर्जा विभाग							
1	10-2810606000101	अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत	2500.00	5000.00	5000.00	सोलर वाटर पंप लगाना, जल–जीवन–हरियाली अभियान, SPV आधारित ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, सौर ऊर्जा संयंत्र के रखरखाव और मरम्मत सहित ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र को GCRT सौर ऊर्जा संयंत्र में बदलना।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
2	10-6801002010101	बिहार राज्य जलविद्युत निगम (पनबिजली उत्पादन)	1000.00	2000.00	2000.00	नई जल विद्युत परियोजनाओं के बचे हुए कार्य को पूर्ण करना और चालू जल विद्युत परियोजनाओं की मरम्मती का कार्य किया जाना है।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
		योगफल	**3500.00**	**7000.00**	**7000.00**		
स्वास्थ्य विभाग							
1	20-4210011100118	जल–जीवन–हरियाली	1000.00	500.00	500.00	वर्षा जल संचयन	हरित अधिसंरचना
		योगफल	**1000.00**	**500.00**	**500.00**		
ग्रामीण विकास विभाग							
1	42-2515000010110	जल–जीवन–हरियाली मिशन	842.00	878.00	878.00	जल–जीवन–हरियाली अभियान को मिशन मोड में लागू करने और उसका अनुश्रवण करने के लिए जल–जीवन–हरियाली मिशन का गठन किया गया है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
2	42-2220601010101	जल–जीवन–हरियाली जागरूकता	500.00	100.00	100.00	इसके अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करना है।	
		योगफल	**1342.00**	**978.00**	**978.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
परिवहन विभाग							
1	47-3055001900104	बिहार स्वच्छ इंधन योजना	2000.00	500.00	500.00	पटना में डीजल–चालित तिपहिया वाहनों का सीएनजी या बैटरी से चलने वाले तिपहिया वाहनों से प्रतिस्थापन, पेट्रोल–चालित तिपहिया वाहनों और पेट्रोल–चालित टैक्सी कैब का सीएनजी में परिवर्तन।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
2	47-3055001900102	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2500.00		0.00		
3	47-3055001990101	मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	6000.00	8000.00	8000.00	ई–रिक्शा की खरीद हेतु अनुदान	
4	47-3055007890101		8000.00	8500.00	8500.00		
5	47-3055007960101		1000.00	500.00	500.00		
		योगफल	**19500.00**	**17500.00**	**17500.00**		
लघु जल संसाधन विभाग							
1	50-4702001020102	सतही सिंचाई योजना	8300.00	830.00	830.00	सतही योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं आहर/पइन/तालाब बांध के पुनरुद्धार पर राशि व्यय की जानी है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
2	50-4702007890104		1600.00	160.00	160.00		
3	50-4702007960105		100.00	10.00	10.00		
4	50-4702001020107	जल–जीवन–हरियाली (नाबार्ड) अभियान	41500.00	40670.00	40670.00	जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् आहर/पइन/तालाब एवं बांध का पुनरुद्धार किया जाना है।	
5	50-4702007890105		8000.00	7840.00	7840.00		
6	50-4702007960106		500.00	490.00	490.00		
7	50-4702001010106	हर खेत तक सिंचाई का पानी– सात निश्चय–2	0.00	8300.00	8300.00	सात निश्चय–2 के तहत हर खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।	
8	50-4702007890106		0.00	1600.00	1600.00		
9	50-4702007960107		0.00	100.00	100.00		
10	50-4702001010205	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	12865.00	4980.00	4980.00	आहर/पइन एवं बांध का पुनरुद्धार किया जाना है।	
11	50-4702007890205		2480.00	960.00	960.00		
12	50-4702007960206		155.00	60.00	60.00		
13	50-4702001010305		1660.00	1660.00	1660.00		
14	50-4702007890305		320.00	320.00	320.00		
15	50-4702007960306		20.00	20.00	20.00		
		योगफल	**77500.00**	**68000.00**	**68000.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2217030510201	हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना (SBM)	19010.00	19010.00	19010.00	इस योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी
2	48-2217030510301		5000.00	10000.00	10000.00		
		योगफल	**24010.00**	**29010.00**	**29010.00**		
भवन निर्माण विभाग							
1	03-2059800530013	आवासीय/गैर–आवासीय उद्यानों/पार्को का रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार	0.00	1000.00	1000.00	विभिन्न आवासीय एवं गैर आवासीय उद्यानों एवं पार्कों का रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार किया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
2	03-4406010510101	भवन निर्माण	1000.00	7000.00	7000.00	वन प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक भवनों का निर्माण।	पर्यावरण प्रबंधन
		योगफल	**1000.00**	**8000.00**	**8000.00**		
कृषि विभाग							
1	01-2401001090122	सिंचाई – सात निश्चय	0.00	4150.00	4150.00	सात निश्चय–2 के तहत हर खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।	हरित अधिसंरचना एवं जमीन का संधारणीय उपयोग
2	01-2401007890152		0.00	800.00	800.00		
3	01-2401007960174		0.00	50.00	50.00		
		योगफल	**0.00**	**5000.00**	**5000.00**		
पशु एवं मत्स्य संसाधन							
1	02-2405001010104	तालाब मत्स्यपालन का विकास एवं जीर्णोद्धार	0.00	10006.52	10006.52	मत्स्य विकास योजनाएं – नया तालाब निर्माण, हैचरी, बायोफ्लॉक, चौर विकास, इनपुट, उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन, मुर्गी–सह–मछली पालन के माध्यम से भू–जल स्तर में वृद्धि जल संरक्षण जल संसाधनों का परंपरागत उपयोग पारिस्थित की संतुलन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
2	02-2405001090102	मत्स्य प्रसार	0.00	1640.08	1640.08	मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण तथा सेमिनार कार्यशाला आयोजित किया जाना है, जिसके माध्यम से मत्स्य कृषकों में पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा की जानी है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
3	02-2405001010219	नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	0.00	4800.00	4800.00	रियरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट, झींगा एवं मांगुर हैचरी, रोग निदान प्रयोगशाला का निर्माण आदि कार्य किया जाना है जिसके माध्यम से भू–जल स्तर में वृद्धि,जल संरक्षण, संगठित मत्स्य पालन हेतु अनुपयोगी जमीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
4	02-2405001010319		0.00	2800.00	2800.00		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
पशु एवं मत्स्य संसाधन							
5	02-2405001010117	मत्स्य संपदा–7 निश्चय–2	0.00	11952.00	11952.00	इस परियोजना के तहत बायोफ्लॉक चौर विकास, जलाशय मत्स्यकी, अलंकारी मछली संवर्द्धन, निजी तलाब जीर्णोद्धार, प्राउन कल्चर एवं मत्स्य बाजार सेड का विकास किया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
6	02-2405007890102		0.00	2844.00	2844.00		
7	02-2405007960110		0.00	204.00	204.00		
8	02-2404000030101	प्रशिक्षण	0.00	212.00	212.00	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
		योगफल	**0.00**	**34458.60**	**34458.60**		
शिक्षा विभाग							
1	21-4202012010106	प्राथमिक विद्यालय हेतु जल–जीवन–हरियाली	5000.00		0.00		
2	21-4202012020115	माध्यमिक विद्यालय हेतु जल–जीवन–हरियाली	2300.00		0.00		
		योगफल	**7300.00**		**0.00**		
100 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान			**183852.00**	**227407.60**	**227407.60**		

श्रेणी 'B' - हरित बजट अनुमान 75 से 90 प्रतिशत (बहुत अधिक)

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2215011910106	जल–जीवन–हरियाली अभियान	270.00	750.00	675.00	जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब/पोखर की उड़ाही का कार्य कराया जाता है। साथ ही, कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जाता है। और सोख्ता निर्माण भी इस मद के अंतर्गत कराया जाता है जो जल संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देता है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
2	48-2215011920103		315.00	875.00	787.50		
3	48-2215011930102		315.00	875.00	787.50		
4	48-2215021050101	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2,	0.00	4900.00	4410.00	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का अलग–अलग वैज्ञानिक तरीके से निश्तारण किया जायेगा, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करेगा।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी
5	48-2215027890104		0.00	18300.00	16470.00		
6	48-2215027960106		0.00	1800.00	1620.00		
7	48-2217011910109	नागरिक सुविधा	900.00		0.00		
8	48-2217011910124	विशेष स्वच्छता अनुदान	1840.00	2300.00	1840.00	स्वच्छता अनुदान मद के तहत स्वच्छता सामग्री की खरीद की जाती है तथा घर–घर से कचरा उठाने के लिए राशि आवंटित की जाती है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करती है।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी
9	48-2217031920114		1600.00	2000.00	1600.00		
10	48-2217031930113		1360.00	1700.00	1360.00		
		योगफल	**6600.00**	**33500.00**	**29550.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2021–22		
			हरित बजट अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
कृषि विभाग							
1	01-2401001040205	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	1245.00	934.00	सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) पद्धति के तहत जैविक खेती	जमीन का संधारणीय उपयोग
2	01-2401001040305		0.00	538.28	404.00		
3	01-2401007890341		0.00	103.76	78.00		
4	01-2401007960363		0.00	6.49	5.00		
5	01-2401007960231	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	0.00	246.05	185.00	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, फसल विविधीकरण, समेकित कीट प्रबंधन	जमीन का संधारणीय उपयोग
6	01-2401007960331		0.00	106.36	80.00		
7	01-2402001020313	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0 एम0पी0)	0.00	2691.39	2019.00	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित अधिसंरचना जमीन का
		योगफल	**0.00**	**4937.33**	**3705.00**		
लघु जल संसाधन विभाग							
1	50-4702001010101	लघु सिंचाई	864.00	913.00	830.00	आहर/पइन/तालाब बांध का पुनरुद्धार	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
2	50-4702007890101		128.00	176.00	160.00		
3	50-4702007960103		8.00	11.00	10.00		
		योगफल	**1000.00**	**1100.00**	**1000.00**		
75 से 90 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान			**7600.00**	**39537.33**	**34255.00**		

श्रेणी 'C' - हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
ग्रामीण विकास विभाग							
1	42-2505021010201	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	164773.70	399998.00	259998.70	इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ–साथ टिकाऊ परिसंपत्ति सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तवर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य तालाब, आहर, खेत–पोखर एवं पइन इत्यादि जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जाता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
2	42-2505021010301		16248.70	29998.00	19498.70		
3	42-2505027890201		0.65	1.00	0.65		
4	42-2505027890301		0.65	1.00	0.65		
5	42-2505027960201		0.65	1.00	0.65		
6	42-2505027960301		0.65	1.00	0.65		
		योगफल	**181025.00**	**430000.00**	**279500.00**		
कृषि विभाग							
1	01-2401007890323	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	691.76	346.00	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई	जमीन का संधारणीय उपयोग
2	01-2401007960359		0.00	43.24	22.00		
3	01-2401001050106	जैविक खेती का उन्नयन	13492.00	12066.71	8447.00	जैविक फसलों/सब्जी फसलों का उत्पादन	
4	01-2401007890126		2601.00	2326.11	1628.00		
5	01-2401007960148		163.00	145.38	102.00		
6	01-2401001040205	परंरागत कृषि विकास योजना	311.00		0.00	सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) पद्धति के तहत जैविक खेती	
7	01-2401007890241		60.00	240.00	180.00		
8	01-2401007960263		4.00	15.00	11.00		
9	01-2401001040305		182.00		0.00		
10	01-2401007890341		35.00		0.00		
11	01-2401007960363		2.00		0.00		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
कृषि विभाग							
12	01-2401001050207	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1195.00	2075.00	1494.00	समेकित कृषि प्रणाली	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
13	01-2401007890238		230.00	400.00	288.00		
14	01-2401007960258		14.00	25.00	18.00		
15	01-2401001050307		701.00	897.13	646.00		
16	01-2401007890338		135.00	172.94	125.00		
17	01-2401007960358		8.00	10.81	8.00		
18	01-2401001090216	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	10894.00	20419.00	15314.00	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, फसल विविधीकरण, समेकित कीट प्रबंधन	
19	01-2401007890203		2100.00	3936.19	2952.00		
20	01-2401007960231		131.00		0.00		
21	01-2401001090316		6386.00	8828.20	6621.00		
22	01-2401007890303		1231.00	1701.82	1276.00		
23	01-2401007960331		77.00		0.00		
24 25	01-2401007890335	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	0.00	207.52	104.00	एकवर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, ड्रिप इरीगेशन की योजना	
26	01-2402001020112	भूमि संरक्षण कार्य	4358.00	5976.00	4183.00	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित अधिसंरचना जमीन का संधरणीय उपयोग
27	01-2402007890101		840.00	1152.00	806.00		
28	01-2402007960108		53.00	72.00	50.00		
29	01-2402001020213	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	4067.00	6225.00	4358.00	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।	
30	01-2402007890202		784.00	1200.00	840.00		
31	01-2402007960209		49.00	75.00	53.00		
32	01-2402001020313		2554.00		0.00		
33	01-2402007890302		492.00	518.82	389.00		
34	01-2402007960309		31.00	32.43	24.00		
		योगफल	**53180.00**	**69453.06**	**50285.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
1	02-2405001010104	तालाब मत्स्यपालन का विकास एवं जीर्णोद्धार	4884.12		0.00		
		योगफल	**4884.12**		**0.00**		
शिक्षा विभाग							
1	21-4202012010106	जल–जीवन–हरियाली	0.00	5000.00	3750.00	राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में से चिह्नित 3125 विद्यालयों में 80,000/– (अस्सी हजार) रु. मात्र प्रति विद्यालय की दर से जल छाजन अधिसंरचना का निर्माण किया गया है।	पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
2	21-4202012020115		0.00	640.00	480.00	राज्य की माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चिह्नित मध्य विद्यालयों में जल संचय हेतु 80,000/–(अस्सी हजार) रु. प्रति विद्यालय की दर से जल छाजन अधिसंरचना का निर्माण किए जाने की योजना है।	
		योगफल	**0.00**	**5640.00**	**4230.00**		
परिवहन विभाग							
1	47-3055001900102	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	4000.00	2000.00	BSRTC द्वारा सीएनजी बसों के क्रय हेतु अनुदान तथा Fame II के अंतर्गत 25 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
		योगफल	**0.00**	**4000.00**	**2000.00**		
50 से 75 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान			**239089.12**	**509093.06**	**336015.00**		

श्रेणी 'D' - हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (सीमांत)

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2215021910102	नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	16500.00	4950.00	नाला निर्माण, मलजल निकासी एवं स्वच्छता संबंधी अन्य मद में नाला निर्माण एवं सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी
2	48-2215021920102		600.00	2500.00	750.00		
3	48-2215021930102		300.00	2500.00	750.00		
4	48-2215027890101		300.00	6024.96	1807.49		
5	48-2215021070101	स्ट्रॅाम वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2	0.00	500.00	150.00	स्ट्रॅाम वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंतर्गत जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नगर निकायों में ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाना है, जिससे जल निकासी हो सके तथा स्वच्छता बरकरार रह सके।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी
6	48-2215027890103		0.00	4300.00	1290.00		
7	48-2215027960105		0.00	200.00	60.00		
8	48-2217011910109	नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान		12000.00	3600.00	नागरिक सुविधा मद के तहत पार्क निर्माण, तालाबों–पोखरों का जीर्णोद्धार आदि कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग
9	48-2217011910116		120.00	3000.00	900.00		
10	48-2217031920105		90.00	2500.00	750.00		
11	48-2217031930104		90.00	2500.00	750.00		
12	48-5075601900101	पटना मेट्रो रेल	0.00	15000.00	7500.00	पटना मेट्रों रेल परियोजना के कार्यान्वयन के उपरांत सार्वजनिक वाहनों के परिचालन में कमी आयेगी तथा ट्रैफिक लोड कम होगा, जिसके कारण वायु प्रदूषण एवं ध्वनी प्रदूषण में कमी आयेगी।	
13	48-2217030510205	झीलों का सौंदर्यीकरण	495.00	990.00	495.00	झील सौंदर्यीकरण मद के तहत झीलों का सौंदर्यीकरण कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	पर्यावरण प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
14	48-2217030510305		300.00	600.00	300.00		
		योगफल	**2295.00**	**69114.96**	**24052.49**		
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37-4515001030316	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.00	33300.00	11580.00	सड़क किनारे वृक्षारोपण, प्लास्टिक के कचरे और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण किया जाना है।	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना
		योगफल	**0.00**	**33300.00**	**11580.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
कृषि विभाग							
1	01-2401001040106	कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	4003.00	9130.00	4109.00	तालाब निर्माण/मेड़ पर वृक्षारोपण/उद्यानिक फसलों की खेती (कृषि नवाचार को प्रोत्साहन)	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना
2	01-2401007890147		772.00	1760.00	792.00		
3	01-2401007960169		48.00	110.00	50.00		
4	01-2401001190101	उद्यान विकास योजना	6163.00	12450.00	6225.00	एक वर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, सुगंधित पौधों का क्षेत्र में प्रसार	
5	01-2401007890130		1188.00	2400.00	1200.00		
6	01-2401007960152		74.00	150.00	75.00		
7	01-2401001020201	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3550.00	8300.00	4150.00	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाइ	जमीन का संधारणीय उपयोग
8	01-2401007890237		684.00	1600.00	800.00		
9	01-2401007960259		43.00	100.00	50.00		
10	01-2401001020301		2081.00	3588.51	1794.00		
11	01-2401007890323		401.00		0.00		
12	01-2401007960359		25.00		0.00		
13	01-2401001030218	बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	2490.00	623.00	बीज ग्राम योजना के अंतर्गत बीज का उत्पादन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
14	01-2401007960271		0.00	30.00	8.00		
15	01-2401007890349		0.00	207.52	52.00		
16	01-2401007960356	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	2.98	1.00	बीज ग्राम योजना के अंतर्गत बीज का उत्पादन	
17	01-2401001090218	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	4150.00	1038.00	भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहीन किसानों के लिए कार्यक्रम और उत्पादन प्रणाली आदि/स्प्रिंकलर/ड्रिप इरीगेशन की योजना	
18	01-2401007960261		0.00	50.00	13.00		
19	01-2401001090318		0.00	1794.26	449.00		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
कृषि विभाग							
20	01-2401001190224	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1085.00	2490.00	1245.00	एक वर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, ड्रिप इरीगेशन की योजना	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना
21	01-2401007890235		209.00	480.00	240.00		
22	01-2401007960257		13.00	30.00	15.00		
23	01-2401001190324		636.00	1076.55	538.00		
24	01-2401007890335		123.00		0.00		
25	01-2401007960357		8.00	12.98	6.00		
		योगफल	**21106.00**	**52402.80**	**23473.00**		
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
1	02-2405001090102	मत्स्य प्रसार योजना	597.66		0.00		
2	02-2405001010219	नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	1557.15		0.00		
3	02-2405001010319		1007.86		0.00		
		योगफल	**3162.67**	**0.00**	**0.00**		
गन्ना उद्योग विभाग							
1	45-2401001080109	ईख विकास	0.00	2490.00	1089.79	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता और चीनी प्राप्ति के प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा उक्त योजना के तहत पानी की कम जरूरत वाले गन्ना के प्रभेद CoP-9301, CO-98014 और CoLK-94184 चयनित हैं, जिन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
2	45-2401007890108		0.00	480.00	210.08		
3	45-2401007960129		0.00	30.00	13.13		
		योगफल	**0.00**	**3000.00**	**1313.00**		
25 से 50 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान			**26563.67**	**157817.76**	**60418.49**		

श्रेणी 'E' - हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2217011910115	परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	400.00	500.00	50.00	मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 10 फीट से कम चौड़ाई वाली गलियों का निर्माण पेवर ब्लॉक से कराया जाता है जो जल संभरण (रिचार्ज) के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।	पर्यावरण प्रबंधन हरित अधिसंरचना
2	48-2217031930103		1903.20	1000.00	100.00		
3	48-2217017890102		450.00	1000.00	100.00		
4	48-2217037890102		2246.80	4500.00	450.00		
5	48-2217030510202	अमृत (AMRUT)	4800.00	48000.00	4800.00	इस योजना के अंतर्गत पार्क निर्माण, जलापूर्ति, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और FSSM योजना का क्रियान्वयन होता है। इसके तहत हरित स्थल/वृक्षारोपण/वर्षा जल संरक्षण/स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भूजल संचयन और संभरण गड्ढा (रिचार्ज पिट) भी बनाया जा रहा है। FSSM योजना के अंतर्गत शौचालयों के मलजल का प्रबंधन किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन, हरित अधिसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन
6	48-2217030510302		1300.00	5000.00	500.00		
7	48-2217800010501	बिहार नगर विकास परियोजना	2860.00	35200.00	7040.00	इस योजना के अंतर्गत सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	पर्यावरण प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण में कमी
8	48-2217030510204	स्मार्ट सिटी मिशन	4200.00	42000.00	4200.00	इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है जो पर्यावरण हित में है।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन हरित अधिसंरचना
9	48-2217030510304		2000.00	20000.00	2000.00		
		योगफल	**20160.00**	**157200.00**	**19240.00**		
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37-4515001030113	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	0.00	6679.00	586.66	(1) सड़क किनारे वृक्षारोपण (2) प्लास्टिक का कचरा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण	जलवायु परिवर्तन शमन, जमीन का संधारणीय उपभोग
2	37-4515001030316	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	8028.00		0.00		
		योगफल	**8028.00**	**6679.00**	**586.66**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
कृषि विभाग							
1	01-2401001030109	बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	2324.00	11620.00	2324.00	बीज गुणन फार्मो का विस्तार, खेती पर व्यय, आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग
2	01-2401007890117		448.00	2240.00	448.00		
3	01-2401007960140		28.00	140.00	28.00		
	01-2401001030218	बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	519.00	1511.00	377.00	बीज ग्राम योजना के अंतर्गत बीज का उत्पादन	
4	01-2401007890249		100.00	480.00	120.00		
	01-2401007960271		6.00	30.00	7.50		
5	01-2401001030318		304.00	1076.55	269.00		
	01-2401007890349		59.00	207.52	51.00		
6	01-2401007960371		4.00	12.98	3.00		
7	01-2401001080220	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	109.00	570.01	114.00	तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना	
8	01-2401007890234		2.00	109.88	22.00		
9	01-2401007960256		1.00	6.87	1.00		
10	01-2401001080320		64.00	246.44	49.00		
11	01-2401007890334		12.00	47.50	10.00		
	01-2401007960356		1.00	2.98	0.75		
	01-2401001090218	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	830.00	4150.00	1037.00	भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहीन किसानों के लिए कार्यक्रम और उत्पादन प्रणाली आदि/स्प्रिंकलर/ड्रिप इरीगेशन की योजना	
12	01-2401007890239		160.00	800.00	200.00		
	01-2401007960261		10.00	50.00	12.50		
	01-2401001090318		487.00	1794.26	448.50		
13	01-2401007890339		94.00	345.88	86.00		
14	01-2401007960361		6.00	21.62	5.00		
		योगफल	**5568.00**	**25463.49**	**5613.25**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
1	02-2404007960101	प्रशिक्षण और विस्तार	0.00	120.00	20.00	राज्य के सभी जिलो मे 02 दुधारू मवेशी की 83 डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुसूचित जनजाति के लाभुको को सब्सिडी प्रदान किया जाना है तथा अनुसूचित जनजाति के 285 पुरुष सदसयो को डी0एन0एस0 पटना मे पशु पबंधन एवं पोषण से सम्प्रबंधित प्रशिक्षण पदान किया जाना है ।	सतत प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग
2	02-2404007960102	आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और संस्कार परियोजना – सात निश्चय परियोजना	0.00	150.00	10.00	कमफेड द्वारा राज्य के विभिन्य दुग्ध संघो मे आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रो की सथापना, विपणन तंत्र को सदृढ़ करने के लिए 05 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, सुधा बोतलबंद पानी उत्पादन के लिए एक संयंत्र तथा ब्रेकेड फायरड वयॅलर की स्थापना किया जाना है	सतत प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग
	योगफल		**0.00**	**270.00**	**30.00**		
पथ निर्माण विभाग							
1	41-5054033370102	बृहद पथ	0.00	30000.00	2123.00	1.BSHP-II, IIAF-III के तहत राज्य उच्चपथों का निर्माण 2 गंगा पथ का निर्माण 3. आर–ब्लॉक से दीघा सड़क का निर्माण इनमें अनिवार्य वनरोपण, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रावधान हैं।	जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन शमन
	योगफल			**30000.00**	**2123.00**		
भवन निर्माण विभाग							
1	03-4059010510101	भवन	0.00	16800.00	1176.00	ईंट के स्थान पर शत प्रतिशत फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, रिफलेक्टिव एवं पेंट का प्रयोग किया जा रहा है, सोलर पैनल तथा मलजल उपचार संयंत्र का बढ़ावा दिया जा रहा है, भूजल के संभरण के लिए सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्माण में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर दूसरी जगह लगाया जा रहा है। भवन के विद्युत कार्य में एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है, एयर कंडिशनिंग में इनवर्टर आधरित 4/5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडिशनर का प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत उपकरणों/बल्ब को ससमय ऑफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न नवनिर्मित महत्वपूर्ण भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।	हरित अधिसंरचना, जलवायु परिवर्तन शमन, संधारणीय उपभोग
2	03-4216017000101	अन्य आवास	0.00	44000.00	3080.00		
3	03-4059800510110	न्यायिक भवन	0.00	100.00	7.00		
4	03-4216017000102	न्यायिक आवासीय भवन	0.00	100.00	7.00		
	योगफल		**0.00**	**61000.00**	**4270.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
जल संसाधन विभाग							
1	49-2705000010204	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	50.00	500	50.00	कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 3750 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र सिंचाई नाली का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों का प्रशिक्षण एवं फसल प्रत्यक्षण भी किया जाएगा।	खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि
2	49-2705000010304		372.60	1166	116.60		
3	49-4700800510207		2640.00	3550	355.00		
4	49-4700800510309		500.00	1500	150.00		
5	49-4700800050101	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	60.00	1300	130.00	सिंचाई योजनाओं एवं नदियों का सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। इंद्रपुरी जलाशय योजना एवं अन्य प्रस्तावित योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य।	जल का समावेशी प्रबंधन
6	49-4700800510102	नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	5.00	600	60.00	सिंचाई शोध संस्थान, खगौल के नए भवन का निर्माण एवं अन्य नई योजनाओं का डी०पी०आर० बनाने का कार्य।	जल का समावेशी प्रबंधन
7	49-4700800510104	सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएँ	6000.00	76500	7650.00	पेय जल हेतु गंगा जल उद्वह योजना का निर्माण। कर्मनाशा नदी पर निकृष पंप नहर योजना एवं चौसा शाखा नहर के जीर्णोद्धार कार्य द्वारा 3786 हेक्टेयर क्षेत्र में हासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन।	खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि
8	49-4700800510105	सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	4835.00	50072	5007.20	पश्चिमी कोशी नहर योजना, बिहुल वीयर योजना, गोरौल वीयर योजना, बघेला घाट वीयर योजना, पकड़ी टिकमा, बलवा बराज, पूर्वी गंडक–ERM, झीम नदी पर गेटेड वीयर, पश्चिमी गंडक नहर, कुंडघाट जलाशय योजना, मुहाने नदी पर चेक डैम, नौमा सिंचाई योजना, बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना, हरनगवई सिंचाई योजना, लखीसराय जिला के हलसी प्रखंड में वीयर योजना आदि में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जाएगा।	खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि
9	49-4700807890102		2700.00	25400	2540.00		
10	49-4700800510310	उत्तर कोयल जलाशय परियोजना	500.00	5000	500.00	उत्तर कोयल नहर परियोजना के अवशेष कार्य को पूरा किया जाएगा।	खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि
11	49-4711010510110	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	1000.00	11100	1110.00	113 अदद स्वीकृत बाढ़ सुरक्षात्मक योजना का क्रियान्वयन कर गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, गंगा आदि नदियों पर स्थित तटबंधो को सुरक्षित रखने का कार्यक्रम है। इससे राज्य के बड़ी आवादी को बाढ़ से सुरक्षा प्राप्त होगी।	मानव बस्ती, आधारभूत संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव
12	49-4711017890104		2100.00	21120	2112.00		
13	49-4711017960101		300.00	2908	290.80		
14	49-4711010510111	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएं	1000.00	10000	1000.00	6 अदद योजनाओं का क्रियान्वयन कर बूढ़ी गंडक दायां तटबंध, कमला बायां एवं दायां तटबंध, महानंदा दायां तटबंध आदि का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण/पक्कीकरण/ कालीकरण किया जाएगा।	मानव बस्ती, आधारभूत संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
जल संसाधन विभाग							
15	49-4711010510209	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	5060.00	42700	4270.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जमीन का संधारणीय उपयोग
16	49-4711010510309		1627.40	22334	2233.40	दुर्गावती जलाशय योजना से 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा।	मानव बस्ती, आधारभूत संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव
17	49-4711010510212	सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	1250.00	15000	1500.00	19 अदद योजनाओं का क्रियान्वयन कर नेपाल भाग में स्थित स्पर, स्टड, रिवेटमेंट्स को मजबूत बनाया जाएगा।	मानव बस्ती, आधारभूत संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव
18	49-4700807890103	हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2	0.00	1600	160.00	सात निश्चय–2 के तहत् ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित योजनाओं का क्रियान्वयन	खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार एवं समावेशी कृषि
19	49-4700807960101		0.00	100	10.00		
20	49-4700800510106		0.00	8300	830.00		
		योगफल	**30000.00**	**300750.00**	**30075.00**		
पर्यटन विभाग							
1	46-5452011010104	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	2000.00		0.00		
		योगफल	**2000.00**		**0.00**		
गन्ना उद्योग विभाग							
1	45-2401001080109	ईख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	581.25		0.00		
2	45-2401007890108		120.00		0.00		
3	45-2401007960129		7.50		0.00		
		योगफल	**708.75**		**0.00**		
सूचना एवं जन–संपर्क विभाग							
1	24-2220601060101	क्षेत्रीय प्रचार अभियान	1150.00		0.00		
		योगफल	**1150.00**		**0.00**		
25 से 5 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान			**67614.75**	**581362.49**	**61937.91**		

श्रेणी 'F' - हरित बजट अनुमान 0 से 5 प्रतिशत (सीमांत)

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2215021910102	नाला निर्माण, मल–जल निकासी एवं अन्य स्वच्छता योजनाएं	4852.47		0.00		
2	48-2217030510203	सबके लिए आवास (शहरी)	1492.50	19700.00	985.00	राज्य के सभी शहरी क्षेत्र मे आवासित आवास विहीन प्रत्येक परिवारों को आवास उपलबध कराया जाना है।	पानी और स्वच्छता में सुधार और बेहतर जीवन
3	48-2217030510303		635.00	7800.00	390.00		
4	48-2217017890205		240.00	4800.00	240.00		
5	48-2217017890305		40.00	1400.00	70.00		
6	48-2217037890205		240.00	14400.00	720.00		
7	48-2217037890305		0.00	2900.00	145.00		
8	48-2217017960201		13.75	275.00	13.75		
9	48-2217017960301		2.50	100.00	5.00		
10	48-2217037960203		13.75	825.00	41.25		
11	48-2217037960303		2.50	200.00	10.00		
12	48-3475001080202	स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	206.25	4125.00	206.25	इस योजना के अंतर्गत संचालित अंगीकार योजना के अधीन पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रचार–प्रसार, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।	पर्यावरण प्रबंधन
13	48-3475001080302		83.00	1381.97	69.10		
14	48-3475007890202		160.00	3200.00	160.00		
15	48-3475007890302		16.00	468.00	23.40		
16	48-3475007960202		8.75	175.00	8.75		
17	48-3475007960302		1.00	150.00	7.50		
		योगफल	**8007.47**	**61899.97**	**3095.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
ग्रामीण विकास विभाग							
1	42-2215021050104	लोहिया स्वच्छता योजना–2	0.00	5000.00	250.00	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी बी.पी.एल. परिवारों और चिह्नित श्रेणी के ए.पी.एल. परिवारों यथा – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत किसान, महिला–प्रधान परिवार तथा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए घरेलू शौचालय के उपयोग और हाथ धोने के लिए जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलू शौचालय का निर्माण किया जाना है। चिह्नित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जिन ए.पी.एल. परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।	पर्यावरण प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन
2	42-2215021050103	लोहिया स्वच्छता योजना–1	1000.00	10.00	0.50		
3	42-2215021050202	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	5681.55	48000.00	2400.00	इस योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी
4	42-2215021050302		585.00	6000.00	300.00		
5	42-2215027890204		1456.80	70800.00	3540.00		
6	42-2215027890304		150.00	8850.00	442.50		
7	42-2215027960206		145.70	1200.00	60.00		
8	42-2215027960306		15.00	150.00	7.50		
9	42-2501061010202	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	0.00	44400.00	2220.00	बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मुलन हेतु जीविका परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन के दिशा में प्रशिक्षण दिया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन
10	42-2501061010302		0.00	13000.00	650.00		
11	42-2501067890202		0.00	43290.00	2164.50		
12	42-2501067890302		0.00	7540.00	377.00		
13	42-2501067960202		0.00	23310.00	1165.50		
14	42-2501067960302		0.00	5460.00	273.00		
15	42-2515001020517	बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	0.00	42348.00	2117.40		
16	42-2515007890510		0.00	17545.00	877.25		
17	42-2515007960517		0.00	605.00	30.25		
		योगफल	**9034.05**	**337508.00**	**16875.40**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37-3054041050001	सड़क और पुल	2037.00	200000.00	3436.04	(1) सड़क किनारे वृक्षारोपण, (2) प्लास्टिक का कचरा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण	जलवायु परिवर्तन शमन, जमीन का संधरणीय उपयोग
2	37-4515001030113	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	3172.00		0.00		
3	37-4515007960109		510.00	7313.00	106.81		
4	37-4515007890104		5979.00	117008.00	1759.58		
5	37-4515001030216	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	9343.00	370000.00	17371.00		
		योगफल	**21041.00**	**694321.00**	**22673.43**		
पशु एवं मत्स्य संसाधन							
1	02-2404001020115	गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं	0.00	9748.00	100.00	इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीकों के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है।	पर्यावरण प्रबंधन
2	02-2404007890101	ग्रामीण डेयरी रोजगार योजना	0.00	1920.00	80.00		
3	02-2404001020116	आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और प्रसंस्करण परियोजना – सात निश्चय	0.00	12450.00	212.75		
4	02-2404007890103	आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और प्रसंस्करण परियोजना – सात निश्चय	0.00	2400.00	58.44		
		योगफल	**0.00**	**26518.00**	**451.19**		
पथ निर्माण विभाग							
1	41-5054033370508	सड़क	3856.00	163900.00	3857.00	1.BSHP-II, IIAF-III के तहत राज्य उच्च पथों का निर्माण 2 गंगा पथ का निर्माण 3. आर–ब्लॉक से दीघा सड़क का निर्माण इनमें अनिवार्य वनरोपण, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रावधान हैं।	जमीन का संधारणीय उपयोग, जलवायु परिवर्तन शमन
2	41-5054033370102	बृहद पथ	1022.00		0.00		
3	41-5054037890101		280.00	65000.00	280.00		
		योगफल	**5158.00**	**228900.00**	**4137.00**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2021–22		
			हरित बजट अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
पर्यटन विभाग							
1	46-5452011010104	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	0.00	20800.00	500.00	1. इसके तहत वैशाली जिले में विश्व शांति स्तूप के समीप अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति हेतु योजना स्वीकृत की गई है। वर्तमान में उक्त सरोवर में गाद भरा हुआ है। इस सरोवर में तकनीकी और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। 2. इसके तहत पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन परिपथ में मार्गीय सुविधाएं यथा ढाबों/लाइन होटलों/मोटलों आदि का उन्नयन एवं मानकीकरण किया जाना है। इससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत शौचालयों का भी निर्माण किया जाना है जिससे खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को भी काफी मदद मिलेगी।	जमीन का संधारणीय उपयोग, हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था
		योगफल	**0.00**	**20800.00**	**500.00**		
शिक्षा विभाग							
1	21-2202010010105	शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षिक आयोजन एवं महोत्सव	25.00	500.00	25.00	प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला और विभिन्न संगोष्ठियों का प्रावधान है।	पर्यावरण प्रबंधन
2	21-2202011090103	मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.00	5845.00	58.45	विद्यालय परिभ्रमण द्वारा छात्र पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं एवं पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए संकल्पित होते हैं।	
3	21-2202010010107	बिहार बाल भवन को अनुदान	0.00	1500.00	30.00	किलकारी बच्चों को परंपरागत एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है।	
		योगफल	**25.00**	**7845.00**	**113.45**		

वित्तीय वर्ष 2021–22						(राशि लाख रु0 में)	
क्रं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट विवरण			योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण सुस्थिरता संबंधी प्रासंगिकता
			वित्तीय वर्ष 2020–21 हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2021–22 हरित बजट अनुमान		
सूचना एवं जन–संपर्क विभाग							
1	24-2220601060101	क्षेत्रीय प्रचार योजना	0.00	8223.00	411.00	इस योजना के अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली मिशन और पर्यावरण से संबंधित अन्य योजनाओं का विभिन्न माध्यमों –यथा आउटडोर प्रचार, वृत्तचित्र/फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधी कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत–नाटक, मास मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किया जाना है।	पर्यावरण प्रबंधन
		योगफल	**0.00**	**8223.00**	**411.00**		
भवन निर्माण विभाग							
1	03-2059800530001	अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.00	32500.00	0.98	सरकारी भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय किया जाना है।	पर्यावरण प्रबंधन
2	03-4059010510101	भवन	386.40		0.00		
3	03-4216017000101	अन्य आवास	1012.00		0.00		
4	03-4059800510110	न्यायिक भवन	2.30		0.00		
5	03-4216017000102	न्यायिक आवासीय भवन	2.30		0.00		
		योगफल	**1403.00**	**32500.00**	**0.98**		
0 से 5 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान			**44668.52**	**1418514.97**	**48257.45**		
महायोग			**569388.06**	**2933733.21**	**768291.45**		

बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग